

टीसीआई को रियल्टी कंपनी सूचीबद्ध कराने की मंजूरी



श्रुति मेघा चतुर्वेदी/पृथ्वी दुई गणेश • नई दिल्ली

आपूर्ति श्रृंखला व लॉजिस्टिक प्रदाता ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (टीसीआई) के कार्यकारी निदेशक विनीत अग्रवाल ने कहा है कि उनकी नव स्थापित रियल्टी सब्सिडियरी टीसीआई डेवलपर्स लिमिटेड के शेयरों को भारतीय प्रतिभूति व नियामक बोर्ड (सेबी) से पिछले सप्ताह पूंजी बाजार में सूचीबद्ध कराने की मंजूरी मिल गई है और अब कंपनी सूचीबद्धता की प्रक्रिया में है। अग्रवाल के अनुसार यह कार्य दो सप्ताह के भीतर कर लिया जाएगा।

ध्यान रहे कि पिछले साल अक्टूबर में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने टीसीआई को उसके रियल इस्टेट व वेयरहाउसिंग परिचालन को डिमर्ज करने की अनुमति दी थी। यह नई कंपनी मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ट्रक टर्मिनल व फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन सरीखी विशाल लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का विकास करेगी।

अग्रवाल के अनुसार हम आने वाले दिनों में कंपनी द्वारा अर्जित नकदी का प्रयोग लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में करने वाले हैं। कंपनी को फिलहाल इक्विटी बाजार डिपॉजिटरी कंपनी नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की मंजूरी का इंतजार है।

टीसीआई के लिए माल परिवहन राजस्व का मुख्य जरिया है। कंपनी की अक्टूबर-दिसंबर की कमाई में इसका अंशदान 46 फीसदी रहा। अग्रवाल कहते हैं कि हम इसी वित्तीय साल में दुनिया के अन्य हिस्सों में भी दो-तीन शाखाएं खोलने की संभावनाएं देख रहे हैं। जैसे दुनिया भर में कंपनी के 1,200 कार्यालय हैं। इस समय कंपनी पर लगभग 300-325 करोड़ रुपए का कर्ज है और कंपनी 2010-11 में अधिग्रहण पर संभवतः 65-70 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है।

मुहर

सेबी ने पिछले सप्ताह लगाई सूचीकरण पर मुहर

दो सप्ताह के भीतर इस काम को पूरा कर लेगी कंपनी

जुटाई गई राशि का इन्फ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा निवेश